प्रेषक,

**निदेशक,**
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

**1–मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग,**
वाराणसी/मिर्जापुर/चंदौली/सोनभद्र/जौनपुर/संत रविदास नगर।
2– प्रक्षेत्र अधीक्षक, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, अराजीलाइन्स, वाराणसी।

पत्रांक 1,8 /प्रचार–शाखा/2017–18 दिनांक 20.9.2017

महोदय,

शासनादेश संख्या– 1641/सैंतीस–2–2017–1–(24)/2017 दिनांक 18 सितम्बर, 2017 एवं तत्क्रम में वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या– 963/बजट/29(5)/30/13/2017–18 दिनांक 19–09–2017 द्वारा, जनपद वाराणसी में आयोजित पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले हेतु मेले आवंटित धनराशि का व्यय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

1– आवंटित धनराशि का आहरण/व्यय करते समय (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 8/2017/बी–1–1190/10–2017–231/2017 दिनांक 03–08–17 एवं शासनादेश संख्या बी–1–1195/10–16/94 दिनांक 06–06–1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– उक्त मेले हेतु औषधि एवं रसायन के लिए सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अपने–अपने जनपद में नियमानुसार क्रय की प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए औषधियों को स्टाक बुक में अंकन करते हुए समस्त औषधियों एवं रसायनों को पशु चिकित्सालय काशी विद्यापीठ वाराणसी को हस्तगत करायेंगे।

3– पशु चिकित्सालय काशी विद्यापीठ वाराणसी के प्रभारी का यह दायित्व होगा कि समस्त औषधियों/रसायनों को मेले में आये हुए पशुओं को वितरित किये जाने हेतु पृथक से आवश्यक पंजिकाएं बनाकर औषधियों का वितरण समेकित रूप से सुनिश्चित करायेंगे।

4– अधीक्षक राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र अराजी लाइन्स वाराणसी का यह दायित्व होगा कि मानक मद 42 एवं 43 से क्रय की जाने वाली, जिनका मानक पूर्व में ही उपलब्ध कराया जा चुका है, वस्तुओं/सामग्रियों हेतु पृथक–पृथक पंजिकाओं में अंकन किया जायेगा एवं समस्त सामग्रियों का उपभोग मात्र उक्त मेले के आयोजन पर ही किया जायेगा।

5– मेले हेतु आवंटित मानक मदों के व्यय करते समय वित्तीय नियमों/निर्देशों का अनुपालन आवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय।

भवदीय

**(डा0 ए0एन0 सिंह)**
निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र